

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1 (1) गृह-10/07 पार्ट

जयपुर, दिनांक 29 JAN 2024

—आज्ञा—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेन्द्र कुमार अग्ने	सहायक निदेशक अभियोजन, न्यायालय एसीबी, भरतपुर।	26.02.1964	29.02.2024	
2.	श्रीमती अलका गहलोत	सहायक निदेशक अभियोजन, न्यायालय एसीबी संख्या-2, अजमेर।	06.03.1964	31.03.2024	
3.	श्री परमेश्वर लाल बेरवाल	सहायक निदेशक अभियोजन, हाल उप निदेशक अभियोजन सीकर (पद विरुद्ध)।	09.03.1964	31.03.2024	
4.	श्री राकेश कुमार झा	उप निदेशक अभियोजन, हाल संयुक्त निदेशक अभियोजन, कोटा (पद विरुद्ध)।	26.04.1964	30.04.2024	
5.	श्री राजेन्द्र तंवर	उप निदेशक अभियोजन, हाल संयुक्त निदेशक अभियोजन, बीकानेर (पद विरुद्ध)।	09.05.1964	31.05.2024	
6.	श्री अब्दुर रहमान	सहायक निदेशक अभियोजन, हाल उप निदेशक अभियोजन, बूंदी (पद विरुद्ध)।	15.07.1964	31.05.2024	
7.	श्री सुग्रीव सिंह	अभियोजन अधिकारी, न्यायालय सीजेएम, भरतपुर।	01.09.1964	31.08.2024	सीसीए नियम- 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित हैं।
8.	श्री नौरतमल प्रजापत	अभियोजन अधिकारी, न्यायालय सीजेएम, चित्तौड़गढ़।	05.10.1964	31.10.2024	सीसीए नियम- 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित हैं।
9.	श्री आवेश सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, एसीबी अलवर।	10.12.1964	31.12.2024	
10.	श्री राजकुमार जौहरी	सहायक निदेशक अभियोजन, हाल उप निदेशक अभियोजन बांरा (पद विरुद्ध)	10.01.1965	31.01.2025	

Signature valid

Digitally signed by Rajendra Sharma
Designation: Secretary
Date: 2024.01.29 11:49:47 IST
Reason: Approved



11.	श्री अनिल गहलोत	अभियोजन अधिकारी, न्यायालय एसीजेएम कपासन, चित्तौड़गढ़।	15.02.1965	28.02.2025	
12.	श्री अब्दुल समद चिश्ती	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय), अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर।	05.03.1965	31.03.2025	

1. क्रम संख्या 01 से 06 एवं क्रम संख्या 09 से 12 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं। क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री सुग्रीव सिंह, अभियोजन अधिकारी एवं क्रम संख्या 08 पर अंकित श्री नौरतमल प्रजापत, अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत विभागीय जांच लम्बित हैं।
2. क्रम संख्या 01 से 12 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. क्रम संख्या 01 से 12 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3 जांच/शिकायत) विभाग।
5. निदेशक, पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
7. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर, भरतपुर, अजमेर, सीकर, कोटा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, बांरा एवं जयपुर।
9. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन; राजस्थान।
10. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
11. संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक अभियोजन, राज0 जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

Signature valid

Raj Kaj Ref
5205806

Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Secretary
Date: 2024.04.29 17:49:47 IST
Reason: Approve